ग्रा0वि0–6–NRLM/01-25/2025...4540549

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक– 01/09/2025

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना** प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रूपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जायेगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत निर्गत संकल्प संख्या––ग्रा0वि0–6–NRLM/01-25/2025/4532790 दिनांक–29.08.2025 की कंडिका 5 (iv) में निम्नवत अंकित है:–

इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में योजना के संबंध में शर्त्तें एवं प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :–

i. योजना अन्तर्गत परिवार से आशय है, पति–पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता–पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जायेगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।

ii. जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला) इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे, उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–1** के रूप में संलग्न है।

iii. जो महिलाएँ जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र में स्व–घोषणा (Self-declaration) एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–2** के रूप में संलग्न है। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी **अनुलग्नक–1** में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्ते होगी :–

(क) आवेदिका की उम्र 18–60 वर्ष होनी चाहिए।

(ख) आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो ।

(ग) आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हों।

योजना के क्रियान्वयन की रूप–रेखा :–

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा।

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जीविका द्वारा सभी आवेदनों की एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रविष्टी सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। उसके बाद सभी आवेदनों का एम0आई0एस0 डाटाबेस बैंक खाते में राशि हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा, जो जाँचोंपरांत उसे जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जीविका मुख्यालय द्वारा डी0बी0टी0 (आधार आधारित) के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार से सम्बद्ध बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

नगर निकाय क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किये जाएँगे। शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रकिया निर्धारित की जायेगी।

उद्यम संचालन हेतु क्षमता संवर्धन एवं उद्यमिता प्रशिक्षण:-

जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम के बेहतर संचालन एवं तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जायेगा। जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) योजना के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण करेंगे एवं समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकेंगे। साथ ही, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
01/9/2025

ज्ञापांक:- ग्रा0वि0-6-NRLM/01-25/2025-4540349/ग्रा.वि.वि. पटना, दिनांक:-01/09/2025

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
01/9/2025

ज्ञापांक:- ग्रा0वि0-6-NRLM/01-25/2025-4540349 /ग्रा.वि.वि. पटना, दिनांक:-01/09/2025

प्रतिलिपि :- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
01/9/2025